



समाचार

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल जीपीएफ ट्रस्ट ने पारदर्शिता एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिए जारी किया अभिदाता चार्टर

जबलपुर, 30 दिसंबर। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि न्यास (जीपीएफ ट्रस्ट) ने नए वर्ष में अभिदाता कार्मिकों को अभिदाता चार्टर घोषणा पत्र 2018 जारी कर सौगात दी है। जारी किए गए चार्टर में भविष्यनिधि (जीपीएफ) के लिए सेवा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सेवा मानदंड के अनुसार जीपीएफ नामांकन के लिए तीन कार्य दिवस, जीपीएफ आंशिक अंतिम आहरण (आवश्यक प्रकरणों में) सात कार्य दिवस, जीपीएफ आंशिक अंतिम आहरण (सामान्य प्रकरणों में) 35 कार्य दिवस एवं जीपीएफ अंतिम भुगतान (प्रकरण प्राप्त होने के बाद) छह माह का मानदंड निर्धारित किया गया है। जीपीएफ ट्रस्ट की सचिव ने कहा कि अभिदाता चार्टर घोषणा 2018 का जारी करने का उद्देश्य ट्रस्ट की प्रणाली की निष्पक्षता, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को प्रभावी बनाना है।

सचिव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि न्यास द्वारा दस दिनों के अंदर शिकायत निवारण की सामान्य समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्मिक अभिदाता द्वारा अपने ई-मेल के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो उनके उत्तर ई-मेल पर दिए जाएंगे। पत्र के माध्यम से भी शिकायत के समाधान या उत्तर देने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जीपीएफ ट्रस्ट की वेबसाइट www.mpebepf.com पर अभिदाता अपने खारतों को ऑनलाइन मासिक अद्यतन रूप में देख सकते हैं।

जीपीएफ ट्रस्ट की सचिव ने जानकारी दी कि अभिदाता चार्टर घोषणा पत्र 2018 में अंशदाता के अधिकार एवं नियंत्रण अधिकारियों के अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया है। चार्टर की समीक्षा एक वर्ष पश्चात् वर्ष 2019 में की जाएगी और आवश्यक हुआ, तो इसमें संशोधन किया जाएगा। चार्टर के अनुसार जीपीएफ संबंधी किसी शिकायत के समाधान के लिए उप निदेशक (भविष्यनिधि) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 2, प्रथम तल, शक्तिभवन, जबलपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

समाचार क्रमांक: 588/2017

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी